140

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1572—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 31—05—2006 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 49/2004—05/निगरानी

.....

शेरसिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह यादव,
निवासी—ग्राम ऊमरी, जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

.....आवेदक

विरूद्ध

1— नरेश सिंह पुत्र नाथूराम
निवासी ग्राम ऊमरी, जिला—भिण्ड, (म0प्र0)

2— म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

आदेश

(आज दिनांक 19.5.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 49/2004—05/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31—05—2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि मौजा पटवारी हल्का न. 54/1 ग्राम ऊमरी द्वारा विचारण न्यायालय तहसीलदार वृत्त ऊमरी के समक्ष शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1489 रकवा 0.02 है. पर आवेदक शेरसिंह द्वारा अतिक्रमण कर उस पर 30x50 का पक्का मकान बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की । तहसीलदार वृत्त ऊमरी ने अपने प्रकरण क्रमांक 1/2003—04/अ—68 में

प्रकरण दर्ज किया तथा दिनांक 01.09.2004 को थाना प्रभारी तथा राजस्व निरीक्षक को निर्माण कार्य रोकने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक शेरसिंह ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला–भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । न्यायालय कलेक्टर, जिला–भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 22/2004–05/निगरानी दर्ज किया तथा पारित आदेश दिनांक 28.04.2005 को विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 49/2004–05/निगरानी पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 31.05.2006 को अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रभावहीन एवं प्रचलन योग्य न मानकर निरस्त किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक के द्वारा अपने पुस्तैनी स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य के पुराने मकान जो कि जीर्ण–शीर्ण हालत में था, उसे तुड़वाकर उसके स्थान पर ही नया निर्माण कार्य किया जा रहा था। आवेदक द्वारा किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र तथा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना विचारण तहसील न्यायालय द्वारा पारित अवैध आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि मात्र पटवारी की रिपोर्ट पर आवेदक को अतिक्रामक नहीं माना जा सकता और न ही उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जा सकता था। संहिता की धारा 248 के तहत् प्रकरण में सर्वप्रथम शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विवादित स्थल की भूमि शासकीय भूमि है अथवा आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की। यह सुनिश्चित किए बिना कि भूमि शासकीय है, आवेदक के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । जब प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित हो तब तहसील न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त नहीं होता । ऐसे में प्रकरण संहिता की धारा 57(2) के अधीन विनिश्चयन हेतु अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा जाना चहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश को समझने में भूल की है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा विचारण न्यायालय एवं अधीस्थ न्यायालय के अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह तथ्य प्रकट होता है कि माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक भिण्ड न्यायालय में प्रचलित वाद निगरानीकर्ता के विरूद्ध निर्णी हुआ है और माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में प्रचलित यह निगरानी स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1976 राजस्व निर्णय 81 बांके बिहारी तथा अन्य विरूद्ध वशिष्ठ राम तथा अन्य राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारक है । यह सुनिश्चित है कि सिविल न्यायालय द्वारा पारित तथ्य विषयक डिक्री राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होती है।"

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला–भिण्ड का आलोच्य आदेश विधिसम्मत है । माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 भिण्ड द्वारा दिनांक 31.03.06 को निर्णित प्रकरण के मुताबिक अपर आयुक्त ने प्रस्तुत निगरानी को स्वतः ही प्रभावहीन होकर प्रचलन योग्य न मानते हुये निरस्त किया है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया गया है कि जब तक सक्षम न्यायालय से माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 भिण्ड के निर्णय के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त न हो । प्रकरण में माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वग–1 भिण्ड की डिक्री के मुताबिक विधिवत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । अपर आयुक्त का यह आदेश उचित और न्यायासंगत है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के इस आदेश से सहमत हूँ। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2006 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर